

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

पत्रांक-05/बी0ए0यू0-19/2022 115

कृ0, राँची/दिनांक- 15-01-2025

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव,
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग),
झारखण्ड, राँची।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची में चल रहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) योजनाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्यांश (25 प्रतिशत) राशि रु. 112.46406 लाख (एक करोड़ बारह लाख छियालीस हजार चार सौ छः रुपये) का आवंटन।

प्रसंग:- राज्यादेश सं0-92 दिनांक-09.01.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत All India coordinated research Project (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा संचालित) की विभिन्न योजनाओं की राज्यांश (25 प्रतिशत) राशि हेतु नियंत्रक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पत्रांक-3999 दि0-05.08.2024 के द्वारा प्राप्त केन्द्रांश (75 प्रतिशत) के आलोक में राज्यांश (25 प्रतिशत) राशि के रूप में वर्ष 2023-24 में सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रु. 82.80466 लाख (बिरासी लाख अस्सी हजार चार सौ छियासठ रुपये) एवं सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में रु. 29.65940 लाख (उन्नतीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ चालीस रु0) अर्थात् कुल राशि रु. 112.46406 लाख (एक करोड़ बारह लाख छियालीस हजार चार सौ छः रुपये) मात्र का आवंटन प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राज्यांश (25 प्रतिशत) सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रु. 82.80466 लाख (बिरासी लाख अस्सी हजार चार सौ छियासठ रुपये) एवं सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में रु. 29.65940 लाख (उन्नतीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ चालीस रु0) का व्यय संबंधित केन्द्रांश (75 प्रतिशत) राशि के वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त राशि के तदनुसार आनुपातिक रूप से BAU द्वारा किया जाएगा तथा राशि की निकासी एक किस्त में की जाएगी। राशि की विमुक्ति के उपरांत उसके व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।
3. उक्त वेतन मद में आवंटित राशि सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रु. 82.80466 लाख (बिरासी लाख अस्सी हजार चार सौ छियासठ रुपये) एवं सहायता अनुदान सामान्य

(गैर वेतन) मद में रु. 29.65940 लाख (उन्नतीस लाख पैसठ हजार नौ सौ चालीस रु0) की निकासी निम्न शीर्षों से की जायेगी :-

(राशि लाख रु0 में)

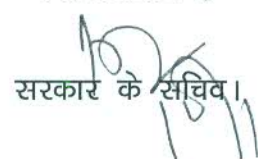
मुख्यशीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-04-बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को साहाय्य अनुदान, उप योजना शीर्ष-02-बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को साहाय्य अनुदान सामान्य (वेतन) विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) 01-S-2415-80-796-04-02-06-46	82.80466
मुख्यशीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-04-बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को साहाय्य अनुदान, उप योजनाशीर्ष-01-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन), बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) 01-S-2415-80-796-04-01-06-79	29.65940
कुल योग	112.46406

(एक करोड़ बारह लाख छियालीस हजार चार सौ छः रुपये)

4. प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश में सन्निहित सभी शर्तों/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची को उपलब्ध करायी गयी राशि के अंकेक्षण का अधिकार महालेखाकार, झारखण्ड तथा योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची की अंकेक्षण शाखा को होगा।
6. आवंटित राशि के नियमानुसार व्यय के पश्चात् तत्संबंधी उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियंत्रक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को भेजते हुए उसकी प्रति विस्तृत व्यय प्रतिवेदन के साथ विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।
7. आवंटित राशि की निकासी संबंधी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष, उप मुख्यशीर्ष, लघुशीर्ष एवं उपशीर्ष एवं विपत्र कोड आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। अन्य लेखा आंकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जिम्मेदारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. आवंटित राशि का व्यय निर्धारित मद एवं उसके लिए स्वीकृत/आवंटित राशि के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत/आवंटित राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।



विश्वासभाजन,


सरकार के सचिव।

115

15-01-2025

ज्ञापांक-05/बी0ए0यू0-19/2022 115

राँची, दिनांक...15-01-2025

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, राँची/उपायुक्त, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-05/बी0ए0यू0-19/2022 115

राँची, दिनांक...15-01-2025

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-05/बी0ए0यू0-19/2022 115

राँची, दिनांक...15-01-2025

प्रतिलिपि- कुलपति/निदेशक प्रशासन/नियंत्रक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-05/बी0ए0यू0-19/2022 115

राँची, दिनांक...15-01-2025

प्रतिलिपि- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/योजना शाखा-3/लेखापाल/लेखा शाखा/रोकड़ प्रभारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची (10) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-05/बी0ए0यू0-19/2022 115

राँची, दिनांक : 15-01-2025

प्रतिलिपि- कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची को मूल प्रति के अलावा आवंटनादेश की प्रति उनके ईमेल आईडी-vc@bauranchi.org एवं नियंत्रक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची के ईमेल आईडी-comptroller_bauranchi@rediffmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाइट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

सरकार के सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Agriculture Di

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 05/BAU-19/2022/115

दिनांक - 16-Jan-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 01 24158079604010679 2415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा 80 - सामान्य 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 04 - बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को सहाय्य अनुदान 01-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) बिरसा कृषि विश्वविद्यालय राँची 06 - अनुदान State Scheme	82238	DRNANS001 SHIV KISHOR MISHRA UNDER SEC AGRI ANIMAL HUS COOP	2,965,940.00 रुपये उन्तीस लाख पैसठ हजार नौ सौ चालीस
	State Scheme : GRANTS IN AID TO BIRSA AGRICULTURE UNIVERSITY(0461) Central Scheme : NA			
2	S 01 24158079604020646 2415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा 80 - सामान्य 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 04 - बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को सहाय्य अनुदान 02-बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कोँके, राँची को सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) 06 - अनुदान State Scheme	82236	DRNANS001 SHIV KISHOR MISHRA UNDER SEC AGRI ANIMAL HUS COOP	8,280,466.00 रुपये ब्यासी लाख अस्सी हजार चार सौ छ
	State Scheme : GRANTS IN AID TO BIRSA AGRICULTURE UNIVERSITY(0461) Central Scheme : NA			

योग: 11,246,406.00

रुपये एक करोड बारह लाख छयालीस हजार चार सौ छ

क्रमिक योग:

(ABOBACKER SIDDIQUE P.)

SECRETARY